रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082021-229197 CG-DL-E-24082021-229197

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] No. 472] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

सा.का.िन. 584(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 29क की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद् का निर्वाचन) संशोधन नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में,--
    - (i) नियम 5 में, आरंभिक भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी सदस्य को, जिसका नाम उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें परिषद् का निर्वाचन होना है, 1 अप्रैल को रजिस्टर में चढ़ा हुआ है, और जो मतदान द्वारा मत डालने का हकदार है, अपने क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपनी पसंद के किसी भी मतदान केंद्र पर उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जिससे उसका संबंध है, किंतु यह तब जब किसी विशिष्ट बूथ पर मतदान करने की इत्तला रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान की तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्राप्त की जाती है।"।

4707 GI/2021 (1)

(ii) नियम 6 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु रिटर्निग आफिसर, मतदान द्वारा मतदान करने के लिए पात्र ऐसे किसी मतदाता से, जो अपने क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से परे किसी मतदान केंद्र पर अपना मत डालने की अनुज्ञा चाहता है, मतदान की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व प्राप्त आवेदन पर, उस क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, जिससे उसका संबंध है, से लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से परे, अपनी पसंद के शहर में किसी भी मतदान केंद्र पर, मतदान करने के लिए उसे अनुज्ञात कर सकेगा, यदि मतदाता सूची में प्रकाशित उसके वृत्तिक पते में कोई परिवर्तन हुआ है या उससे मतदान की तारीख को उसके वृत्तिक पते से दूर रहने की प्रत्याशा की जाती है और उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रिटर्निग आफिसर द्वारा की जाएंगी।"।

- (iii) नियम 21 में,--
  - (क) उपनियम (2) में, "2500" अंकों के स्थान पर, "1000" अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (3) में, "2500 से अधिक मतदाताओं" अंकों के स्थान पर, "1000 मतदाता या उनसे अधिक" अंक रखे जाएंगे :
- (iv) नियम 26 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(1) किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए कोई अभ्यर्थी, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर उपस्थित होने का हकदार होगा, जिसके अंतर्गत उस निर्वाचन क्षेत्र से परे ऐसे मतदान केंद्र भी हैं, जो नियम 6 के उपनियम (2) के परंतुक के निबंधनानुसार अनुज्ञात किए जाएं।";
- (v) नियम 32 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मत की गणना को प्रारंभ करने की तारीख तथा समय एक समान होगा।";

(vi) अनुसूची 2 के खंड (3) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 01/03/2020 पीआई (भाग 1)]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 534(अ), तारीख 5 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 553(अ), तारीख 23 जुलाई, 2008, संख्या सा.का.नि. 110(अ), तारीख 25 फरवरी, 2011 और संख्या सा.का.नि. 796(अ), तारीख 23 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2021

- G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 29A read with clause (a) of sub-section (2) of section 9 of the Chartered Accountants Act, 1949 (No. 38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Chartered Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006,-
  - (i) in rule 5, for the opening portion, the following shall be substituted, namely:-

"Subject to other provisions of these rules, a member, whose name is borne on the Register on the 1<sup>st</sup> day of April of the financial year in which the election to the Council is to take place and is entitled to vote by poll, shall be permitted to cast his vote for the candidates contesting from the regional constituency to which he belongs, at any polling booth of his choice within his Regional Constituency, provided an intimation to vote at a particular booth is received by the Returning Officer at least fourteen days prior to the date of polling:";

(ii) in rule 6, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Returning Officer may, on an application from a voter eligible to vote by poll seeking permission to cast his vote at a polling booth beyond his regional constituency, received at least three weeks prior to the date of polling, permit him to vote, for the candidates contesting from the regional constituency to which he belongs, at a polling booth, in the city of his choice beyond such regional constituency, if there has been a change in his professional address published in the List of Voters or he is expected to be away from his professional address on the date of polling and all necessary arrangements therefor shall be made by the Returning Officer.";

- (iii) in rule 21, -
  - (a) in sub-rule (2), for the figures, "2500", the figures "1000" shall be substituted;
  - (b) in sub-rule (3), for the words and figures, "more than 2500 voters", the words and figures "1000 voters or more" shall be substituted;
- (iv) in rule 26, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(1) A candidate for election from a constituency shall be entitled to be present at the polling booths in that constituency including at such polling booths beyond that Constituency, as may be permitted in terms of the proviso to sub-rule (2) of rule 6.";
- (v) in rule 32, the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided that, the date and time for commencement of counting of votes for all constituencies shall be uniform.";
- (vi) in Schedule 2, clause (3) shall be omitted.

[F. No. 01/03/2020 PI (Part-1)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 534(E), dated the 5th September, 2006 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 553(E) dated the 23rd July, 2008, number G.S.R. 110(E), dated the 25th February, 2011 and number G.S.R. 796(E), dated the 23rd August, 2018.